न्यायालयः प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा।

SC/ST Case no. 59/2016

03.06.2019 प्रस्तुत वाद में बचाव पक्ष के तरफ से दिनांक 30.08.2016 को एक आवेदन द0प्र0स0 की धारा 228 के अंतगर्त दिया गया है जिसे आज चालित किया जा रहा है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अभियुक्त निर्दोश है, उन्हे झुठा इस वाद में फॅसाया गया है। अभियुक्तों के विरूद्ध अनुसुचित जाति–जनजाति अधिनियम की किसी धारा का अपराध नहीं बनता है। जहॉ तक भा0द0वि0 के अंतगर्त लगे आरोपों का सवाल है, वह मजिस्ट्रेट विचारणी अपराध के अंतगर्त आता है। इसलिए अभिलेख को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में वापस कर दिया जाये। अभियुक्त के आवेदन में वर्णित कंडिकाओं के संदर्भ में गहराई से सूना गया।

दुसरी तरफ विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त आवेदन का पुरजोर विरोध किया जा रहा है।

अभिलेख का अवलोकन किया। यह वाद परिवाद पत्र संख्या 539/2014 के आधार पर द0प्र0स0 की धारा 156(3) के अंतगर्त अभियुक्तों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है। परिवादी/सूचक का कहना है कि घटना के दिन व समय पर 5000/– रूपया लेकर गॉव के बाजार लक्ष्मीपुर से खरीदे गये कपड़े एवं सामानों का पैसा देने के लिए जा रहा था कि बीच रास्ते में चन्देश्वर सिंह ने होली के अवश्र पर पुआ–पकवान खिलाने के लिए रोक लिया तथा उन्हे दालान के कुर्सी पर बैठने को कहा। अभियोगी भी वहीं कुर्सी पर बैठ गया और होली का पकवान खाने लगा। तभी एकाएक गॉव के नन्हु उर्फ संजय सिंह और लालू सिंह अबीर डालने के लिए आ गये और अबीर लगाने के क्रम में अभियुक्त नन्हु उर्फ संजय सिंह ने कहा कि मादरचोद, धोबी, अहिर के दरवाजा पर कुर्सी पर बैठता है, भागों यहॉ से। इसी पर अभियोगी गाली देने से

लागातार,

03.06.2019 मना किया और कहा कि हम आप लोगों के पवनी है। इसी बात पर अभियोगी लालू सिंह ने सूचक का कॉलर पकड़कर 2 तमाचा लगा दिया और बोला कि तेज बनता है। हल्ला सून कर अभियुक्त धर्मदेव सिंह अन्य अभियुक्तों के साथ देशी कट्टा लेकर आये और बोले कि साले धोबी का मन बढ़ गया है, इसको गोली मार देगें। तब तक सभी गवाह जुट गये। इस पर अभियुक्त ईटा–पत्थर चलाने लगे और अभियुक्त लालू सिंह ने अभियोगी के पॉकेट से 5000/– रूपया छिन लिया और 2 फैट मार दिया।

उक्त बयान के आधार पर अभियुक्त नन्हु सिंह उर्फ संजय सिंह व अन्य 8 पर प्राथमिकी दर्ज किया गया और अनुसंधान उपरांत इन्ही 9 अभियुक्तों के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 323, 504 एवं अनुसुचित जाति–जनजाति अधिनियम की धारा 3(i)(x) के अंतगर्त आरोप पत्र समर्पित किया गया है।

अभिलेख पर उपलब्ध काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। काण्ड दैनिकी के पारा 4, 5, 6, 7, 8, 16 में गवाहों ने घटना का समर्थन किया है और अभिलेख पर भा0द0वि0 की धारा 323, 504 एवं एस0सी0/एस0टी0 एक्ट की धारा 3(i)(x) के अंतगर्त आरोप गठन करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य है और मामला इस विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है। इसलिए अभियुक्त का आवेदन दिनांक 30.08.2016 को खारिज किया जाता है।

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोजपुर, आरा।